कार्यालय, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

ई-निविदा सूचना

कार्यालय-अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा ठेकेदारों (ओपेन टू आल) से निम्नानुसार प्रतिस्पर्धात्मक ई-निविदा के माध्यम आमन्त्रित की जाती है। विस्तृत नियम व शर्तो की जानकारी कार्यालय कार्य दिवस में अभियन्त्रण अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य (GST सहित)	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	कार्य की अवधि
1.	अयोध्या में व्यस्ततम चौक सब्जी मण्डी स्थित मोहल्ला मच्छरहट्टा स्थित नजूल भूखण्डों पर पब्लिक एम्रिटीज एवं पार्किंग तथा जन सुविधाओं का विकास कार्य।	36,51,50,852.03	73,04,580.00	5,900.00	29.11.2024 04:00PM	18 माह

(क)नोट –

1. विस्तृत जानकारी ई-निविदा पोर्टल **etender.up.nic.in /** प्राधिकरण की बेबसाइट **www.ayodhya.in तथा** कार्यालय कार्य दिवस में अभियन्त्रण अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।
2. टेंण्डर डालने से पूर्व निविदा मूल्य (Tender Coast/ Bid Processing Fee) व धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) प्राधिकरण कोष, में दिये गये लिंक https://emdada.ayodhyada.in/loginWithotp के माध्यम से केवल ऑनलाइन जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

निविदाएं केवल ओवर ऑल प्रतिशत पर ही मान्य होंगी। सशर्त निविदाएं मान्य न होंगी। निविदा के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण निविदा को बिना कारण बताएं निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण में निहित होगा। शासनादेश के अनुसार ठेकेदारों से नियमानुसार रायल्टी जी0एस0टी0 एवं समस्त कटौतियां प्रचलित व्यवस्था के अनुसार की जायेंगी। समस्त निविदाओं के साथ शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग-14 के पत्र संख्या-87यू0ओ0/छःपु0 14-07-185/07 दिनांक 12 सितम्बर 2007 द्वारा जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रपत्र **संख्या PWD-T-4 पर चरित्र प्रमाण पत्र, PWD-T-5 पर हैसियत प्रमाण-पत्र एवं PWD-T-6** पर **(शपथ पत्र) रू0-100.00** (रू0 एक सौ मात्र) के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित किया हुआ संलग्न किये जायेंगे। कार्य को निर्धारित समय अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा। अर्नेस्टमनी व टेण्डर कास्ट प्रत्येक कार्य हेतु अलग-अलग देय होगी। निविदा दरें निम्न होने की दशा पर लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक Below दर पर 1% प्रति प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त परफार्मेनश गारण्टी ली जाने की व्यवस्था निर्धारित है। समस्त निविदाओं के सम्बन्ध में टेण्डर डालने से पूर्व टेण्डर कॉस्ट व अर्नेस्टमनी प्राधिकरण कोष में केवल दिये गये लिंक https://emdada.ayodhyada.in/loginWithotp के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने के साथ ही भुगतान की प्रति टेण्डर के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। इस शर्त का पालन न करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

टेक्निकल बिड के साथ प्राधिकरण द्वारा मांगे गये प्रपत्रों का एक INDEX बनाकर, जिसमें प्रपत्र का विवरण एवं पृष्ठ संख्या स्पष्ट रूप से अंकित हो संलग्न करते हुए उसकी सॉफ्ट कापी निविदा पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।

(ख) नोट - **विस्तृत नियम व शर्तो की जानकारी प्राधिकरण कार्यालय कार्य दिवस में अभियन्त्रण अनुभाग से अथवा Ayodhya.in / etender.up.nic.in के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं।**

1 निविदा के साथ दी जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि, कार्य पूर्ण करने हेतु निधारित समय, कार्य की श्रेणी व अन्य शर्ते एवं विवरण निविदा सूचना में अंकित शर्तो, विवरण एवं 'नोट' के अनुसार लागू होगी। निविदा सूचना निविदा प्रपत्र का एक अंश है।

2 समान कार्यों की सूची साथ में संलग्न है। निविदादाता की निविदा उल्लिखित कार्य के अनुभव की मान्य होगी एवं संलग्न सूची के अनुसार समान कार्यों के अनुभव भी मान्य होगे।

3 सफल निविदादाता से स्वीकृत निविदा धनराशि का 05 प्रतिशत जमानत धनराशि अनुबन्ध के समय RTGS/FD/ Bank Guaranty/ KVP /NSC के रूप में जमा करायी जाएगी।

4 ठेकेदारों के चालित देयकों से 05 प्रतिशत जमानत धनराशि काटी जाएगी तथा 5 प्रतिशत कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने एवं अनुरक्षण अवधि समाप्त होने के पश्चात् ही वापस किया जायेगा।

5 किसी भी एक अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकृत कर देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति तथा व्यक्तियों द्वारा निविदा के अस्वीकृत होने के कारण को पूछा नहीं जा सकता है।

6 किसी भी निविदा पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके साथ अग्रिम धनराशि जमा करने की रसीद अथवा निविदा सूचना के अनुसार अग्रिम धनराशि संलग्न न होगी।

7 निविदा की दर तथा जोड़ को शब्दों तथा अंकों में स्पष्ट रूप से भरा जायें तथा कोई भी कटिंग व ओवर राईटिंग न की जायेगी अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

8 सफल निविदा दाता निविदा की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात 15 दिन के अन्दर स्पष्ट रूप से अनुबन्ध पर हस्ताक्षर नहीं करेगें तो निविदा के साथ जमा किया हुआ धनराशि जब्त कर लिया जायेग तथा निविदा की स्वीकृति वापस कर ली जायेगी।

9 ठेकेदार अपनी निविदा में दर उसी प्रकार से भरेगा जिस प्रकार से निविदा पत्र में मांगी गयी हों।

10 निविदा देने की तिथि से निविदा 03 माह तक वैध रहेगी।

11 जो पता ठेकेदार का निविदा में मिलेगा वही पता मान्य होगा और इस पते पर भेजी गई डाक यदि डाकखाने से किसी कारण से वितरित न होकर वापस हो जाती है तो समझा जायेगा कि ठेकेदार द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

12 सामान्य निविदा के लिए प्रत्येक कार्य की निविदा के लिफाफे पर कार्य का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होगी।

13 साधारण एवं विशेष शर्तों/नियमों का पालन न होने पर निविदा मान्य न होगी और ठेकेदार को डिबार कर दिया जायेगा एवं ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।

14 निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों / प्रमाण-पत्रों के गलत पाये जाने पर कार्य/ अनुबन्ध की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर/ जमानत धनराशि के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जायेगी तथा ठेकेदार को डिबार/ ब्लैक-लिस्ट किया जा सकता है।

15 निविदा खोलने की तिथि अवकाश की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।

16 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

17 फर्म द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व स्थल की भौतिक स्थिति से भली-भांति आश्र्वत (Awareness) होना अनिवार्य है।

पी0डब्लू0सी0
{अभियन्त्रण अनुभाग}

अधि0अभि0
अयोध्या विकास प्राधिकरण
अयोध्या

ठेकेदार के हस्ताक्षर
तथा पता:

Signature Not Verified
Digitally signed by RAJESH KUMAR SONI
Date: 2024.11.20 10:56:38 IST
Location: Uttar Pradesh-UP